: :– प्रेस–विज्ञप्ति : :– दिनांक 18.9.2011

दुर्घटना के दर्ज प्रकरण

थाना फलासीया में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी कालुलाल पिता कालु गमार नि. तुन्दर ने मोटर साईकिल अर. जे–27––1180 के चालक के विरूद्व मोटर साईकिल को तेजगति लापरवाही से चलाकर प्रार्थी की पुत्री सुनीता के टक्कर मारकर चोटें पहुंचाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 122/11 धारा 279,337 भादस में दर्ज किया गया।

थाना सुरजपोल में दिनांक 18.9.2011 को प्रार्थी हरिश पिता हीरा मीणा नि. जावरमाईन्स ने टैम्पो आर. जे–27–पी–5026 के चालक के विरूद्व टैम्पो को तेजगति लापरवाही से चलाकर डीवाईडर से टकरा देना जिससे स्वंय प्रार्थी के चोटें पहुचने की रिपोर्ट पर प्ररकण संख्या 394/11 धारा 279,337 भादस में दर्ज किया गया।

थाना फतहनगर में दिनांक 18.9.2011 को प्रार्थी भगवत सिंह पिता भंवरसिंह नि. तरजेला चितौड ने ट्रोला आर. जे–09–जी.ए–2348 के चालक के विरूद्व ट्रोले को तेजगति लापरवाही से चलाकर प्रार्थी के मोटर साईकिल के टक्कर मारकर प्रार्थी के चोटें पहुंचाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 148/11 धारा 279,337 भादस में दर्ज किया गया।

धोखाधडी के दर्ज प्रकरण

थाना प्रतापनगर में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी इस्लाउदीन पिता अहमद बक्ष नि. सिलावटवाडी ने अभियुक्त गफ्फार पिता मोहम्मद बक्ष वगेरा 2 अन्य व्यक्तियों के विरूद्व फर्जी आईडी प्रूफ बनाकर प्रार्थी के नाम की अवार्ड राशि पटवार मण्डल से उठाकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 352/11 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादस में दर्ज किया गया।

थाना गो.विलास में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी किशनलाल पिता भंवरलाल नि. सवीना खेडा ने अभियुक्त नरेन्द्र रोड लाईन्स प्लेट ऑनर बलीचा बाईपास के विरूद्व प्रार्थी से रूपये लेकर मेकेनिक कार्य करने सौदा तय करना व बाद में कार्य नहीं कर रूपये हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 241/11 धारा 420,406 भादस में दर्ज किया गया।

थाना गो.विलास में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी टीकमचन्द पिता प्यारचन्द नि. गो.विलास ने अभियुक्त मंसुर अली पिता समता अली नि. गांधीनगर चितौडगढ के विरूद्व प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर अमानत में खयानत करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 342/11 धारा 420,406 भादस में दर्ज किया गया।

थाना खैरोदा में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी मांगीबाई पत्नी मोडा कालबेलिया नि. मडींगपुरा ने अभियुक्त घासीराम पिता मांगीराम कोठारी नि. खैरोदा के विरूद्व प्रार्थीया के पास रखी गिरवी रकम हडप कर अमानत में खयानत करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 185/11 धारा 420,406,201 भादस में दर्ज किया गया।

थाना भुपालपुरा में दिनांक 18.9.2011 को प्रार्थी मनीष पिता प्रतापसिंह कोठारी नि. भुपालुपरा ने अभियुक्ता धोपद्री उर्फ नन्दनी पुत्री दलीचन्द नि. शिवमन्दिर वाली गली अजमेर वगेरा 2 अन्य के विरूद्व प्रार्थी को मैरिज ब्युरो के मार्फत शादी का झासा देकर रूपये हडपने व धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 229/11 धारा 420,120बी भादस में दर्ज किया गया।

थाना गो.विलास में दिनांक 18.9.2011 को प्रार्थी नारूराम पिता उदाराम चौधरी नि. केसरीयाजी ने अभियुक्त बन्नाराम पिता कुशाराम चौधरी नि. गुमानीया वेला वगेरा 3 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व षडयंत्र पूर्वक प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर रूपये हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 343/11 धारा 420,406,120बी भादस में दर्ज किया गया।

चोरी के दर्ज प्रकरण

थाना कुराबड में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी भगवतीलाल पिता रूपलाल ब्राहमण नि. गुडली ने अज्ञात मुल्जिमों के विरूद्व रात्री के समय जैन मन्दिर का ताला तोडकर अन्दर से दो छोटी चांदी की मुर्तिया व एक छत्र चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 111/11 धारा 457,380 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना ऋषभदेव में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी प्रकाश पिता लक्ष्मीराम मीणा नि. मुथली ने अज्ञात मुल्जिमों के विरूद्व प्रार्थी की मोटर साईकिल चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 402/11 धारा 379 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना हाथीपोल में दिनांक 18.9.2011 को प्रार्थी जय पिता इन्द्रलाल सिंधी नि. प्रतापनगर ने अज्ञात मुल्जिमों के विरूद्व प्रार्थी की मोटर साईकिल चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 194/11 धारा 379 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

अपहरण के दर्ज प्रकरण

थाना सराडा में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थी देवा पिता नाथु मीणा नि. पाल लिम्बोदा ने अभियुक्त कालु पिता हुरमा मीणा नि. जालादेवी खारकी के विरूद्व प्रार्थी की पुत्री को बहला फुसला कर प्रार्थी की पुत्री का अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 218/11 धारा 363,366 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

दहेज प्रताड़ना के दर्ज प्रकरण

थाना कानोड में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती बदामबाई पत्नी कालुरावत नि. भावपुरा ने अपने पति कालु पिता चुरा रावत वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व गाली गलौच करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 88/11 धारा 498ए,323,504,506,34 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना कानोड में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती रम्भाबाई पत्नी कैलाश भोई नि. भोईयों की पंचोली ने अपने पति कैलाश वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने व धमकिया देने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 89/11 धारा 498ए,323,504,384,34 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना सराडा में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती रेखा पत्नी लक्ष्मण मीणा नि. छाणी ने अभियुक्त लक्ष्मण मीणा वगेरा 2 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने स्त्रीधन हडपने व दुसरी शादी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 216/11 धारा 498ए,494,406,120बी भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना सराडा में दिनांक 17.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती हजरत जहा पत्नी अब्दुल रहमान नि. सराडा ने अपने पति अब्दुल रहमान वगेरा 2 अन्य अभियुक्तों के विरूद्व प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल देने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 217/11 धारा 498ए,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

Ex Act के दर्ज प्रकरण

थाना झाडोल में दिनांक 16.9.2011 को अभियुक्त दीता पिता भैरा खराडी नि. ढीमडी को अवैध रूप से देशी महुवे की 5 बोतल शराब अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 164/11 धारा 16/54 Ex Act में दर्ज किया गया।

थाना प्रतापनगर में दिनांक 16.9.2011 को अभियुक्त प्रभु पिता नाकु कालबेलिया नि. मठ मादडी को अवैध रूप से देशी महुवे की 5 बोतल शराब अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 351/11 धारा 16/54 Ex Act में दर्ज किया गया।

Tourist Act के दर्ज प्रकरण

थाना भुपालपुरा में दिनांक 17.9.2011 को अभियुक्त वसीम को को पर्यटको को लुभावने प्रलोभन देकर झांसा देने व लपकागिरी करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 228/11 धारा 13 (1)(2) Tourist Act में दर्ज किया गया।

107,116 (3) 151 CRPC में गिरफ्तार

जिले के निम्न थानो में धारा 151 में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना हिरणमगरी–	नक्कु पिता मोती बंजारा नि. सेक्टर नम्बर 6
थाना कानोड–	हेमराज पिता रामा जाट , रतनलाल पिता मगनीराम जाट नि. सांरगपुरा।
थाना माण्डवा–	मेहा पिता धुला वडेरा नि. नयावास।
थाना ऋषभदेव–	गजेन्द्र पिता नाथु मेघवाल नि. भुदर।

प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना सुखेर में दिनांक 17.9.11 को अभियुक्त गिरीराज पिता हनुमान प्रसाद कुर्मी नि. केसुआ उधोग नगर कोटा व मोहन प्रसाद पिता हनुमान प्रसाद कुर्मी को जेल से प्रोडक्श वारंट से प्रकरण संख्या 267/11 धारा 420,467,468,471,120बी भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

थाना झाडोल में दिनांक 17.9.11 को अभियुक्त नरेश उर्फ नरसी पिता परथा कोखसा गमेती नि. कन्थारीया पिपलोदा को प्रकरण संख्या 166/11 धारा 302 भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

थाना डबोक में दिनांक 17.9.11 को अभियुक्त परथा पिता रामा मीणा , वाला पिता काना मीणा नि. गावडापाल को प्रकरण संख्या 30/11 धारा 457,380 भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

वारंट में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना अम्बामाता में दिनांक 17.9.11 को अभियुक्त बलवीर पिता अवतारसिंह नि. अम्बामाता को गिर. वारंट 239/09 तथा अभियुक्त प्यारेलाल पिता चमना गमेती नि. नागा नगरी को गिर. वारंट 653/09 में गिरफ्तार किया गया।

थाना डबोक में दिनांक 17.9.11 को अभियुक्त चुन्नीलाल पिता गणेशला डांगी नि. नाहरामगरा को गिर. वारंट 465/02 तथा अभियुक्त मांगीलाल पिता डालु कालबेलिया नि. धुणीमाता को गिर. वारंट 21/05 एवं अभियुक्त वेणीराम पिता केसुरा डांगी नि. लकडवास को स्थाई वारंट 194/10 में गिरफ्तार किया गया।

थाना ऋषभदेव में दिनांक 17.9.11 को अभियुक्त भैरूलाल पिता धुला नंगरची नि. पिपली बी को स्थाई वारंट 153/11 में गिरफ्तार किया गया।